JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

राजनीति विज्ञान विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश संघवाद और एकात्मक व्यवस्था का विश्लेषण

शोधकर्ता : राजू

सारांश:

संघवाद का अर्थ और राज्य शक्ति का विभाजन ऐसी समन्वयी संस्थानों में जिसकी शक्ति का स्रोत एक ही संविधान होता है| जो उनके कार्यों का नियंत्रण रखता है ऐसी संघ राज्य में केंद्रीय तथा राज्यों की सरकारों का सह -अस्तित्व और सहयोग रहता है क्योंकि दोनों ही नागरिकों के संगठित जीवन को सफल बनाने का प्रयास करती है| संघात्मक संविधान वह है जो राज्य की शक्ति को सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक है एक केंद्रीय सरकार को देता है और उसे शक्ति को जो प्रत्येक जिले प्रदेश अथवा देश के भाग के हित में आवश्यक है उसे स्थानीय सरकार को देता है जो उसे भाग प्रशासन करती है संघात्मक और एकात्मक शासन में यही भेद है संघात्मक संविधान एक राजनीतिक अनुबंध है जो राज्य की शासन शक्तियां को दो सरकारों में बैठी हैं एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत और सभी प्रकार की शक्तियां या निर्णय लेने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है ना कि राज्यों के पास संविधान के अनुसार लेकिन कुछ कार्यों को करने के लिए राज्यों को शक्ति या विषय प्रदान किया जा सकते हैं लेकिन निर्णय निर्माण केंद्रीकरण के आधार पर ही होता है चीन, ब्रिटेन, फ्रांस बेल्जियम, उदाहरण है या पर लोकतांत्रिक व्यवस्था भी हो सकती है या नहीं भी संघवाद के अंतर्गत संवैधानिक रूप से शक्तियों का विभाजन किया गया है जैसे केंद्र सरकार के सभी निर्णय संसद निर्णय लेगी तथा राज्यों में राज्य सरकार तथा अवशिष्ट शक्तियों पर निर्णय केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ले सकते हैं विवाद की स्थिति में केंद्र के निर्णय ही लागू होंगे|

प्रस्तावना:

संघ शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण 'फेडरेशन लैटिन भाषा के शब्द फॉयडस से निकला है | निकला है जिसका अर्थ है संधि या समझौता अंतः शब्द की उत्पत्ति के दृष्टिकोण से समझौते द्वारा निर्मित राज्य को संधि राज्य कहा जाता है जिसमें अनेक स्वतंत्र राज्य अपनी कुछ सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केंद्रीय सरकार संगठित करते हैं और शेष विषयों में

अपनी अपनी पृथक स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हैं इस प्रकार संघ राज्य में एक संज्ञा या केंद्रीय सरकार फेडरल गवर्नमेंट होती है और कुछ संघीयभूत इकाइयों फेडरल यूनिट्स की सरकार होती हैं संघ संघ का निर्माण एक लिखित समझौते जो एक संविधान का रूप होता है के द्वारा होता है संविधान द्वारा केंद्र तथा इकाइयों की सरकारों के बीच शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है सामान्य हित के विषयों का प्रबंध केंद्रीय सरकार के हाथ में रहता है और क्षेत्रीय महत्व के विषयों का संज्ञा इकाइयों के हाथ में दोनों सरकारे अपने-अपने विषय क्षेत्र में स्वतंत्र रहती हैं अनेक अधिकार क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया तथा उनकी सहमति से ही संभव है दोनों सरकारों की शक्तियां मौलिक होती हैं और दोनों का अस्तित्व संविधान पर निर्भर करता है इस प्रकार संघ राज्य दोहरी सरकार है यह दो प्रकार की समक्ष सरकारों का राज्य है वर्तमान में छोटे राज्यों के साथ बड़े राज्य भी अस्तित्व में हैं इन बड़े और विस्तृत राज्यों का शासन एक केंद्रीय आधार पर या एक स्थान से कुशलता के साथ नहीं किया जा सकता है इसलिए शासन की सुविधा की दृष्टि से समस्त राज्य को कई कार्यो में बांट दिया जाता है केंद्र अधिकारियों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है संविधान द्वारा क्षेत्र के आधार पर शक्तियों का जो केंद्रीकरण या वितरण किया जाता है और देश के शासन में केंद्रीय और स्थानीय इकाइयों के बीच जो संबंध होता है उसके आधार पर शासन व्यवस्थाओं को एकात्मक और संघात्मक दो रूप में वर्गीकृत किया जाता है|

एकात्मक शासन: अर्थ और परिभाषा :

एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है संविधान द्वारा शासन की समस्त शक्तियां केवल केंद्रीय सरकार को ही सौंप जाती हैं तथा इकाइयों को शासन की शक्तियां केंद्र से प्राप्त होती हैं स्थानीय अथवा इकाइयों की सरकारों का अस्तित्व आवश्यकताओं केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करती हैं एकात्मक शासन व्यवस्थाओं के प्रसिद्ध उदाहरण हैं ब्रिटेन फ्रांस चीन और बेल्जियम|

विभिन्न विद्वानों ने एकात्मक शासन की परिभाषा दी है

सी• एफ •स्ट्रांग के अनुसार "एकात्मक शासन में केंद्रीय सरकार की सर्वोच्च होती है तथा संपूर्ण शासन एक केंद्रीय सरकार के अधीन संगठित होती है और उसके अधीन जो भी क्षेत्रीय शासन कार्य करना है उसकी शक्तियों से केंद्र सरकार से प्राप्त होती हैं"

डायसी के शब्दों में " एकात्मक राज्य में कानून बनाने की समस्त शक्तियां केंद्रीय सत्ता के हाथों में निवास करती हैं"

विलोबी के शब्दों में " एकात्मक शासन में शासन के संपूर्ण अधिकार मौलिक रूप से एक केंद्रीय सरकार में निहित रहती हैं तथा केंद्रीय सरकार अपनी इच्छा अनुसार शक्तियों का वितरण इकाइयों में करती"

संघ का आधार पारस्परिक संगठन यूनियन है एकता यूनिटी नहीं संघ में इकाइयों की सहायता और सब रूपक को सुरक्षित रखा जाता है संघ निर्माण के पश्चात अवयवी एकक अपनी संप्रभुता को देते हैं| संप्रभुता नवनिर्मित संघ राज्य में निहित हो जाता है संघ शासन से सरकारे दो प्रकार की होती हैं केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारी शासन शक्तियों का केंद्रीय तथा इकाइयों की सरकारों के बीच विभाजन होता है केंद्रीय शासन के अधिकार क्षेत्र में सामान्य हित और राष्ट्रीय महत्व के विषय पर इकाइयों के अधिकार क्षेत्र में स्थानीय महत्व के विषय रहते हैं क्योंकि संघीय पद्धति एक संधि का रूप धारण कर लेती है अतः संविधान में या तो उन अधिकारों का उल्लेख किया जाना चाहिए जिन्हें संघ में शामिल होने वाली इकाइयो बने रखना चाहती है या उन अधिकारों का उल्लेख किया जाना चाहिए जिन्हें संघीय प्राधिकरण अपने पास रखेगा|

डायसी " संघवाद एक राजनीतिक समझौता है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ सारे राष्ट्रीय की एकता को सुनिश्चित किया जाता है" |

गार्नर " संघात्मक सरकार व पद्धति है जिसमें समस्त शासकीय शक्ति एक केंद्रीय सरकार तथा उन विभिन्न राज्य अथवा क्षेत्रीय उप विभागों की सरकारों के बीच विभाजित तब वितरित रहती है जिनको मिलकर संघ बनता है" |

फाइनर " संघीय राज्य में है जिसमें अधिकार और शक्ति का कुछ भाग स्थानीय क्षेत्र में निहित है वह दूसरा भाग स्थानीय क्षेत्र के समुदाय द्वारा विचार पूर्वक बनाई गई केंद्रीय संस्था को दिया जाए"

एकात्मक व संघात्मक शासन प्रणाली में विभिन्नताएं

एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणालियों में निम्नलिखित आधारों पर अंतर पाया जाता है

1.सरकारो और शक्तियों के विभाजन के आधार पर एकात्मक शासन प्रणाली में शक्ति का स्त्रोत केंद्र ही होता है स्थानीय सरकारों को जो भी शक्ति प्राप्त होती है वह केंद्र के द्वारा ही होती है प्रशासन कार्यों में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है किंतु संघात्मक शासन में शासन शक्तियां केंद्र में निहित ना होकर क्षेत्रीय सरकारों में भी वितरित होती हैं इन शक्तियों का स्रोत संविधान होता है

2. सरकारों की स्थिति के आधार पर अंतर एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार के पास शासन की समस्त शक्तियां होती हैं तथा स्थानीय सरकारी केंद्र के अधीन रहकर कार्य करती हैं अतः इस शासन व्यवस्था में स्थानीय सरकारों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता इसके विपरीत संघात्मक शासन में केंद्र के साथ-साथ स्थानीय सरकारों को भी शासन शक्तियां प्राप्त होती हैं तथा वह केंद्र से स्वतंत्र होकर संविधान की सीमाओं में रहकर कार्य करती हैं|

3. नागरिकता के आधार पर अंतर एकात्मक होती हैं जबकि संघात्मक राज्यों में नागरिकों को राष्ट्रीय नागरिकता के साथ-साथ इकाइयों की नागरिकता भी प्राप्त होती है अर्थात संघात्मक राज्यों में दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है

4. संविधान की स्थिति के आधार पर अंतर एकात्मक शासन वाले राज्यों में संविधान लिखित और अलिखित दोनों प्रकारों का हो सकता है जबकि संघात्मक शासन वाले राज्यों में शासन की शक्ति केंद्र राज्य सरकारों में विभाजित होती है और उसे विभाजन को स्पष्ट करने की दृष्टि से संविधान होना अनिवार्य है|

5. न्यायपालिका के कार्य संबंधी अंतर संघात्मक शासन में न्यायपालिका को केंद्र व इकाइयों इकाई व इकाई के पारस्परिक अधिकारों संबंधी विवादों का निर्णय करना होता है जबकि एकात्मक शासन में न्यायपालिका का कार्य मात्र देखना होता है की व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून कितनी ईमानदारी से लागू हो रहे हैं|

भारतीय संघवाद की सबसे अधिक सही व्याख्या यह होगी की विभिन्न कालों में इसके विभिन्न रूप व्यवहार देखने को मिलते |हैं भारत में एक प्रकार का संघवाद नहीं अनेक प्रकार के संघवाद हैं एक ही समय में अलग-अलग राज्यों में केंद्र के भिन्न-भिन्न प्रकार के संबंध रहे हैं कभी इन संबंधी की व्याख्या, सहयोगी संघवाद के आधार पर तो कभी एकात्मक संघवाद के आधार पर प्रतियोगिता के युग में सौदेबाजी वाली संघ व्यवस्था के आधार पर की जा सकती है वैसे तो यह तीनों ही प्रवृत्तियां ही संघात्मक व्यवस्था में एक साथ विद्यमान रहती हैं परंतु कभी-कभी ऐतिहासिक घटनाओं के कारण इनमें से किसी एक की प्रमुखता इसे अन्य दो से अलग श्रेणी की बना देती है यह सत्य है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में संघ ज्यादा शक्तिशाली है तथा संघ में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति विद्यमान है परंतु संघीय शासन में ही संघ और राज्यों के बीच सहयोग के महत्वपूर्ण बिंदु भी उल्लेखित है इसलिए भारतीय संघ को सहकारी संघ की व्यवस्था कहा जाता है|

निष्कर्ष :

हम यह कह सकते हैं कि संघीय राज्य की इकाइयों को शक्तियों की दृष्टि से केंद्र के समान स्थिति प्रदान करना संघ निर्माण हेतु एक आवश्यक पूर्व शर्त है भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है इसमें शक्तियों का विभाजन पाया जाता है|

जैसे केंद्र सरकार के विषय पर संसद सभी प्रकार के कानून का निर्माण करेगी ,राज्य के विषय पर राज्य की विधानमंडल कानून का निर्माण करती है अवशिष्ट शक्तियों पर कानून का निर्माण केंद्र के साथ-साथ राज्य भी कानून का निर्माण कर सकती है जो संविधान में विषयों का विभाजन किया गया है एकात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन नहीं पाया जाता है कानून का निर्माण केंद्र के माध्यम से ही किया जाता है राज्यों में शक्तियों विभाजित नहीं है|

1.संदर्भ सूची :

आलोक श्रीवास्तव: भारत में संघवाद- उद्विकास अब प्रवृत्तियां भारतीय सरकार अब राजनीति प्रो•आर •पी •जोशी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, पृष्ठ 44

2. के .सी .व्हीयर , फेडरल गवर्नमेंट, 1951, पृष्ठ 28

3. सुभाष कश्यप. हमारा संविधान .नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 1995

4. ए .एस .नारंग .भारतीय शासन और राजनीति, गीतांजलि पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली, 1998 पृष्ठ 75

5. मौरिस जोन्स (1971) गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया. लन्दन: हचिसन, पृष्ठ 150

7. प्रदोष कुमार : भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति

8. नवीन कुमार अग्रवाल,भारत की राजनीति व्यवस्था

10. एमपी सिंह ,हिमांशु रॉय, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम मानक पब्लिकेशन नई दिल्ली|

11 .इंडिया टुडे 1 जनवरी 2022

12. भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका जुलाई दिसंबर 2018 पृष्ठ-364

13. देवेंद्र कुमार सालवान भारत की संघीय व्यवस्था: एक परिचय

14. किरन टाइम्स राजनीति विज्ञान प्रकाशन डी .पी सिंह इलाहाबाद

15. कश्यप सुभाष ,गठबंधन की सरकार और भारत में राजनीति प्रकाशन, एन. बी .डी .टी नई दिल्ली. 1997

16. आर .पी जोशी, एव आर एस आढा , भारतीय राजनीति व्यवस्था: पुनर्रचना के विविध आयाम. रावत पब्लिकेशन जयपुर पृष्ठ 53 54,